जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर

क्रमांक –

दिनांक –

–: कोटेशन आमंत्रण सूचना :–

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्रांक एफ–7(197/1)/रालसा/संस्था–किराया वाहन/2022/6380–6410 दिनांक 31.03.2022 तथा इसी क्रम में विधि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा प्रदत्त आज्ञा संख्या पं.8(1) विधि–2/ विरसं (37)/ 2022 दिनांक 30.03.2022 द्वारा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए मासिक आधार पर प्रथम 1500 कि.मी. हेतु 26,400/–प्रतिमाह/प्रतिवाहन (Service Tax extra if applicable) अधिकतम रूपये 31,350/–प्रतिमाह/प्रतिवाहन (Service Tax extra if applicable) for 2000 Kms. for offices having a district as their jurisdiction) की केटेगेरी अनुसार किराये के वाहन जो कि टैक्सी के रूप में रजिस्टर्ड हो, लेने हेतु व्यक्ति, फर्म या ट्रेवल एजेंसी से वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ2(4) एफडी/एसपीएफसी/2017 दिनांक 19.07.2018 एवं 31.03.2021 में दिए गए नियम एवं शर्तों के अधीन कोटेशन आमंत्रित किए जाते है। कोटेशन दिनांक 18.04.2022 को 11.00 ए.एम. तक इस कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। प्राप्त कोटेशन दिनांक 18.04.2022 को 12:00 पी.एम. पर उपस्थित व्यक्ति/फर्म/ट्रेवल एजेंसी के समक्ष अध्यक्ष, संविदा किराया वाहन कमेटी, सीकर द्वारा खोले जावेंगे।

शर्तें –

1. कोटेशन सीलबंद लिफाफे में दिनांक 18.04.2022 को 11.00 ए.एम तक इस कार्यालय में जमा करवाये जा सकते हैं। इसके बाद प्राप्त कोटेशन पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. लिफाफे के ऊपर वाहन हेतु कोटेशन अंकित होना चाहिए तथा मध्य भाग पर अध्यक्ष, संविदा किराया वाहन कमेटी, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम–02, सीकर एवं नीचे बांयी तरफ व्यक्ति/फर्म/ट्रेवल एजेंसी का नाम एवं पता अंकित होना चाहिए।
3. वाहन 6 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए तथा टैक्सी के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए।
4. व्यक्ति/फर्म/ट्रेवल एजेंसी के भुगतान के समय बिल से नियमानुसार समस्त विधिक कटौतियां आयकर इत्यादि की कटौती की जावेगी।
5. वाहन के टैक्स, परमिट, बीमा, सर्विस टैक्स, फिटनेस इत्यादि सभी कागजात पूर्ण होने चाहिए।
6. वाहन मालिक का वाहन चालक स्वच्छ पोशाक में होगा एवं वाहन को साफ–सुथरा रखेगा।
7. वाहन चालक का वैद्य वाणिज्य वाहन चलाने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा पत्र धारक होना आवश्यक हैं।
8. वाहन को यथासंभव कार्यालय परिसर में ही खडा किया जावेगा। (लेकिन जोखिम वाहन मालिक की होगी)
9. वाहन मालिक द्वारा किसी दिनांक को वाहन उपलब्ध नहीं करवाया जाता हैं तो शास्ति रु2000/– (दो हजार रूपये) प्रतिदिन आरोपित की जावेगी तथा किराये पर अन्य वाहन लेने की स्थिति में यदि अतिरिक्त भुगतान किया जाता हैं तो अधिक भुगतान की वसूली वाहन स्वामी से की जावेगी।
10. वाहन की मरम्मत, पेट्रोल/डीजल/ऑयल इत्यादि व्यय वाहन स्वामी द्वारा वहन किये जावेगें।
11. वाहन मालिक को वाहन का किराया वित्त विभाग के उक्त परिपत्रों में वर्णित शर्तो एवं सीमाओं बिन्दु संख्या 02 एवं 03 एवं अन्य लागू नियमों के अन्तर्गत किया जावेगा।
12. उक्त भुगतान योग्य राशि के अतिरिक्त पथकर का पनुर्भरण वाहन स्वामी को पथकर की रसीद प्रस्तुत करने पर किया जावेगा। पथकर के अलावा समस्त कर वाहन स्वामी द्वारा वहन किये जावेगें।
13. यदि वित्त विभाग द्वारा उक्त दरों में भविष्य में या अनुबंध अवधि में कोई संशोधन किया जाता हैं, तो संशोधित नियमों के अनुसार भुगतान किया जावेगा।
14. वाहन प्रदाता व्यक्ति/फर्म/ट्रेवल एजेंसी को एक एग्रीमेंट 500रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर साइन करके देना होगा।
15. इसके अलावा राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ2(4) एफडी/एसपीएफसी/2017 दिनांक 19.07.2018 एवं 31.03.2021 एवं अन्य लागू नियम एवं शर्तो की पालना करनी होगी।

16. वाहन प्रदाता व्यक्ति फर्म/ट्रेवल एजेंसी को संलग्न तकनीकी प्रपत्र में समस्त जानकारी भी प्रस्तुत करनी होगी, जिससे उसकी अर्हता का निर्णय किया जा सके।

17. वाहन के प्रभारी अधिकारी द्वारा वाहन के कर्तव्य का समय निर्धारित किया जावेगा। वाहन के उपयोग हेतु कर्तव्य स्थान से दूरी एवं समय की गणना के अनुसार वाहन की नियमानुसार लॉग बुक वाहन प्रभारी/वाहन स्वामी द्वारा भरी जावेगी। जो कि निर्धारित प्रारूप में तैयार की जाकर वाहन मालिक द्वारा उपलब्ध करवानी होगी।

18. माह के अन्त में बिल के साथ व्यक्ति/फर्म/ट्रेवल एजेंसी को अपना ऑनलाईन बैंक में खाता संख्या मय बैंक ब्रांच का विवरण देना होगा। समस्त भुगतान उसी बैंक खाता मार्फत किये जाएंगे। इच्छुक प्रस्तावक अपना प्रस्ताव संलग्न प्रारूप में भरकर नियत तिथि तक निम्न दस्तावेजातों के साथ प्राधिकरण के कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेगा–

क) किराये पर उपलब्ध करवाये जाने वाले वाहन का पंजीयन प्रमाण–पत्र, बीमा एवं पॉल्यूशन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपियां एवं वाहन स्वामी के पहचान पत्र की प्रतिलिपि

ख) वाहन चालक का नाम एवं एवं उनके वैद्य अनुज्ञा पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियां मय फोटोग्राफ

ग) प्रस्तावक के जी.एस.टी. कटौती के संबंध में प्रमाण–पत्र एवं विवरण तथा जी.एस.टी. का शोधन प्रमाण–पत्र तथा पैन कार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां

19. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रथम पक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

20. समस्त विवादों का न्यायक्षेत्र सीकर रहेगा।

Sd

अध्यक्ष
संविदा किराया वाहन कमेटी
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम–02)
सीकर

क्रमांक– 1358

दिनांक – 6/4/2022

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ निम्नलिखित को प्रेषित है –

1. संविदा किराया वाहन कमेटी अध्यक्ष/सदस्य श्री...

2. सूचना पट्टा जिला न्यायालय/कलेक्ट्रेट परिसर, सीकर एवं तालुका कार्यालयों आदि पर चस्पा करने हेतु।

3. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, सीकर को जिला न्यायालय, सीकर की वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत्

4. ....

5. कार्यालय प्रति।

अध्यक्ष
संविदा किराया वाहन कमेटी
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम–02)
सीकर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर के उपयोग हेतु बोलेरो वाहन मासिक किराए के आधार पर संविदा अन्तर्गत लिये जाने के लिए तकनीकी प्रपत्र विज्ञप्ति वर्ष 2022–2023 –

1. वाहन मालिक का नाम व संपर्क नम्बर –..

2. वाहन मालिक का पता..

3. वाहन का प्रकार –..

4. वाहन का रजिस्ट्रेशन नं..............................रजिस्ट्रेशन वर्ष..............................

5. चालक का नाम ....पुत्र श्री ....

पता..............................मो.नं..............................

6. क्या वाहन टैक्सी परमिट है ? यदि हां तो परमिट का विवरण ....

....

7. वाहन मालिक का पैन कार्ड नं..

8. वाहन स्वामी/फर्म द्वारा प्रस्तुत कोटेशन दर प्रतिमाह–प्रतिवाहन –

अक्षरों में ....

शब्दों में ....

हस्ताक्षर वाहन मालिक

संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज –

1..............................

2..............................

3..............................

4..............................

5..............................